

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर  
जिला चित्तौडगढ  
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 71 / 2022

दायर दिनांक 19.07.2022

शांतिबाई  
उनवान  
बनाम  
कैलाश

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 05.01.2022

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई, वादीगण उपस्थित, वादीगण की ओर से वकील श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच ने अधिकार पत्र पेश किया। वादीगण व वकीलवादी ने प्रार्थना-पत्र बाबत मिसल तलबी पेश किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली तलब की गई। वकीलवादी ने पृथक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अब वाद पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रकरण में तथ्यों व परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने से अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, इसलिये नया वाद पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाद विद्रों करना चाहते हैं। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(भावना सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
भूपालसागर  
